न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - कैलाश चन्द गुर्जर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -08/2022

अनवान

1.श्रीमती नन्दु बाई पुत्री श्री नाराणदास जाति जाट आयु 76निवासी ग्रम मोहनपुरा हाल मु0 जमीलपुरा जिला बून्दी तहसील राजस्थान

2.श्रीमती ज्याना उर्फ जानी बाई पुत्री नाराण जाट पत्नी श्री राधाकृष्णा जाति जाट, उम्र 73 वर्ष मोहनपुरा हाल मु0 नांदना पोस्ट गोलना तहसील सुसनेर जिला आगर (म.प्र.) राजस्थान

3.श्री धापू बाई पुत्री नाराण जाट,पत्नीश्री ग्यारसीराम जी, जाति जाट आयु 57 वर्ष ,निवासी मोहनपुरा,तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ राजस्थान ।

4.श्रीमती कैलाश बाई पुत्री नाराण जाट,पत्नीश्री नन्द लाल, जाति जाट आयु 57 वर्ष ,निवासी मोहनपुरा,तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ राजस्थान ।

5.सुरजमल पुत्र घासीलाल जाट जाति जाट आयु 37वर्ष निवासी जमुनिया जिला कोटा ,राजस्थान । मो.नं 9001728631

-वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता श्री मोडूलाल जाट उम्र बालिंग ,निवासी मोहनपुरा ,तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ राजस्थान ।
2. मांगीलाल पिताश्री मोडूलाल जाट उम्र बालिंग ,निवासी मोहनपुरा ,तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ राजस्थान ।
3. संतोष पुत्री मोडू लाल जाट पत्नी पृथ्वी राज उम्र बालिंग ,निवासी धावदकला ,तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ राजस्थान ।
4. कालीबाई पुत्री मोडूलाल जाट उम्र बालिंग पत्नी उदयलाल,निवासी मोहनपुरा हाल मुकाम जामुनिया,तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान ।
5. कली बाई पत्नी मिथलेश जाट पुत्री मोडूलाल जाट उम्र बालिग निवासी मोहनपुरा हाल मु0 नांदना तहसील सुसनेर जिला आगर(मालवा) (म.प्र.) राजस्थान ।
6. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धावदकला पं.सं.भैसरोडगढ तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ राजस्थान ।
7. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला चित्तौडगढ राजस्थान ।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री पी.के. बिल्लू अप्रार्थीगण संख्या 3
श्री बाबूराम देराश्री अप्रार्थीगण संख्या 1,2,4,5

निर्णय दिनांक 06.07.2022

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 रा.टी.ए. का प्रस्तुत किया है, जो सुदृढ आधारों पर आधरित होकर अवश्य ही प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होगा, लेकिन उक्त प्रकरण के निस्तारण होने में समय लगने की संभावना है, इस बीच में अप्रार्थीगण उक्त आराजियात को रहन, बेचान कर अपने नाम पर नामान्तरण खुलवाकर खुर्द बुर्द कर देंगे, जिससे वाद विवाद बढ़ेंगे और कानूनी पेचिदगिया बढ जाएगी, इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। मौजा मोहनपुरा, प.ह. जालखेड़ा की जमाबन्दी सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

2042–44 खाता संख्या 83, खसरा संख्या 151,152,153,154,158/2,309,351 कुल किता 07 रकबा 46 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि जो खाते मे नारायण पिता श्री गंगाराम जाट, सा. मोहनपुरा के नाम, खातेदार दर्ज रिकॉर्ड थी, जो नामान्तरण संख्या 277 दिनांक 18.03.1986 को जरिये विरासत से मोडूलाल पिता नाराण जाट के नाम दर्ज रिकॉर्ड करने की स्वीकृति हुई, जिसे तत्कालीन ग्राम पंचायत जालखेड़ा द्वारा दिनांक 18.03.1986 को ही तरदीक किया था, वक्त नामान्तरण तस्दीक प्रस्तुत तत्कालीन ग्राम पंचायत जालखेड़ा द्वारा स्व.नाराण पिता गंगाराम जाट के वारिसान की सही जांच नही कर आनन फानन में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के पिता मोडूलाल के प्रभाव में आकर आनन फानन मे नामान्तरण तरदीक कर दिया है, जबकि हिन्दू उतराधिकार के अधिनियम के तहत समस्त उतराधिकारी चल अचल सम्पति में अपना हक रखते है तथा अपना हिस्सा लेने के लिए अधिकारी है, इसलिए स्व. नाराण के वारिसान का सजरा निम्न प्रकार है:–

नाराण(फौत)

राधा बाई(पत्नि) (फौत)	मोडूलाल(पुत्र) (फौत)	नन्दू बाई (पुत्री)	ज्याना बाई (पुत्री)	श्रृंगार बाइ (पुत्री) (फौत)	धापू बाई (पुत्री)	कैलाश बाई (पुत्री)

सुरजमल (पुत्र)

भूली बाई (पत्नि) (फौत)	कन्हैयालाल (पुत्र)	मांगीलाल (पुत्र)	संतोष (पुत्री)	काली बाई (पुत्री)	कली बाई (पुत्री)

इस प्रकार स्व. नाराण के स्वर्गवास के बाद उक्त नामान्तरण खोलते वक्त तत्कालीन ग्राम पंचायत जालखेड़ा द्वारा उनके वारिसान की जांच नही कर आनन फानन में गलत तरीके से नामान्तरण तस्दीक किया है, जो कानूनन निरस्त होने योग्य है, जबकि स्व0 नाराण जी के विरासत का नामान्तरण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के पिता के नाम पर खुलना चाहिए था, जो नहीं खुला है, स्व0 नाराण जी की कृर्षि भूमियों में प्रार्थीगण का 1/6 –1/6 हिस्सा निहित है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त विवादित कृर्षि आराजीयात ग्राम मौजा मोहनपुरा, वर्तमान प0ह0 धावदकलां की वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 158 खसरा संख्या 256,257,258,259,262,479,482,569 कुल किता 08 रकबा 10.10 है0 कृर्षि आराजीयात मोडूलाल पिता नाराण जाति जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो मिलान क्षेत्रफल से 151,152,153,154,158/2,309,351 कुल किता 07 रकबा 46 बीघा 14 बिस्वा से ही बनी हुई है तथा उक्त वर्णित कृर्षि भूमियों में प्रार्थीगण का 1/6– 1/6 हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 का 1/6 हिस्सा निहित है तथा मौके पर पारिवारिक बंटवारा कर सभी हिस्से अनुरूप ही काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा स्व. मोडूलाल जी का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण विवाह होने के पश्चात ग्राम मोहनपुरा से चली गई थी, इसी मौके का फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के पिता मोडूलाल जी द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर नामान्तरण संख्या 277 दिनांक 18.03.1986 अपने नाम तस्दीक करवा लिया है जिसकी जानकारी प्राथीगण को अभी हाल ही में जब राजस्व रिकार्ड की जानकारी की तो पता चला है तथा राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तो जानकारी हुई कि स्व. नाराण्रा की उक्त विवादित आराजीयात को गलत तरीके से नामान्तरण स्व. मोडूलाल जी ने अपने नाम करवा ली है इसलिए ग्राम मोहनपुरा प0ह0 धावदकलां तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 158 खसरा संख्या 256,257,258,259,262,479,482,569 कुल किता 08 रकबा 10.10 है0 में प्रार्थीगण कर 1/6–1/6 हक व हिस्सा निहित है तथा मौके पर भी प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है इसलिए प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात में खातेदार काश्तकार घोषित कर तदनुसार डिक्री जारी

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

फरमायी जावें तथा उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के मध्य अपने अपने हिस्से अनुरूप राजस्व रिकोर्ड में बंटवारा किये जाने का आदेश प्रदान कर तदनुसार डिक्री जारी फरमायी जावे। वाद कारण दिनांक 11.08.2021 को प्रार्थीगण द्वारा अपने कब्जे स्वामित्व व हक हिस्से की कृषि भूमियों का राजस्व रिकार्ड निकालने हेतु राजस्व अधिकारियों से सम्पर्क किया तो पता चला कि उक्त कृषि भूमियों स्व. मोडूलाल के नाम पर दर्ज है तथा उसके बाद दिनांक 20.12.2021 को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 से उक्त कृषि भूमियों का बंटवारा एवं उनके नामपर खुलवाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संतोष द्वारा लडाई झगडा करने पर आमादा हो गयी तथा बंटवारा व नामान्तरण खुलवाने से मना कर दिया तथा कहां कि मैं तो उक्त कृषि भूमियों का नामान्तरण अपने नाम खुलवाकर जमीन को बेचान करूंगी तब से वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज उत्पन्न हो रहा है इसलिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय मे प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। ग्राम मोहनपुरा प0ह0 धावदकलां तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 158 खसरा संख्या 256, 257, 258, 259, 262, 479, 482, 569 कुल किता 08 रकबा 10.10 है0 भूमि को रहन, बेचान करने पर आमदा है तथा किसी भी समय नामान्तरण खुलने के उपरान्त उक्त वर्णित कृषि भूमियों को खुर्द बुर्द कर अन्य किसी दिगर व्यक्ति को बेचान कर सकते है, इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त वर्णित कृषि भूमियों को अन्य किसी दिगर व्यक्ति को रहन, बेचान या अमल दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावें इस बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब करने पर विपक्षी संख्या 1,2,4,5 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूराम देराश्री व अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. बिल्लू ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 06 को न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया इसलिए न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 06 का जवाब बंद कर एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील अप्रार्थी संख्या 03 व 1,2,4,5 ने प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सिधे बहस करने हेतु निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थी ने सहमति व्यक्त की।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मोहनपुरा प0ह0 धावदकलां तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 158 खसरा संख्या 256, 257, 258, 259, 262, 479, 482, 569 कुल किता 08 रकबा 10.10 है0 भूमि को रहन, बेचान करने पर आमदा है तथा किसी भी समय नामान्तरण खुलने के उपरान्त उक्त वर्णित कृषि भूमियों को खुर्द बुर्द कर अन्य किसी दिगर व्यक्ति को बेचान कर सकते है, इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त वर्णित कृषि भूमियों को अन्य किसी दिगर व्यक्ति को रहन, बेचान या अमल दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावें इस बाबत प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत जालखेडा ने जो दिनांक 18.03.1986 को नामान्तरण संख्या 277 खोला गया वो नियमानुसार ही खोला गया है तथा सही है। उक्त विवादित कृषि आराजीयात पर हम अप्रार्थीगण का ही हक है तथा हम अप्रार्थीगण के पिता स्व. मोडूलाल जी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार स्व. मोडूलाल जी का नामान्तकरण जो खोला जा रहा है वो नियमानुसार सही है। खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, निषेधाज्ञा जारी करने की स्थिति में अपूर्ति योग्य क्षति विपक्षी को होगी सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर विपक्षी के पक्ष में हैं। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के कथनों के आधार पर हज न्यायालय में प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण होने तक यह स्पष्ट नहीं होता है कि नामान्तरण संख्या 277 दिनांक 18.03.1986 जो खोला गया है वह सही खोला गया है अथवा नहीं, यह मूल वाद के निस्तारण होने पर ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकती है। अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं जारी करने पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना अधिक है। सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

अधिक न होकर प्रार्थीगण के पक्ष में अधिक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मोहनपुरा प0ह0 धावदकलां की खाता संख्या 158 खसरा संख्या 256, 257, 258, 259, 262, 479, 482, 569 कुल किता 08 रकबा 10.10 है0 भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र के निस्तारण तक मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
(आर0ए0एस0)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा